न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश मेवाड़ा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 89 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 राजेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल 2 लक्ष्मी देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार जातिगण माली निवासी बासनी तिलवाड़िया तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।		1 कानाराम पुत्र भोलाराम 2 नारायणलाल पुत्र भोलाराम 3 ताराराम पुत्र टिकमाराम जाति सरगरा निवासीगण बासनी तिलवाड़िया हाल उदेशी कुआ तहसील–सोजत जिला पाली राज0। 4 सुकाराम पुत्र टिकमाराम 5 सेणकी देवी पत्नि मिश्रीलाल 6 घीसी देवी पत्नि जगदीश 7 सम्पत पुत्र जगदीश 8 संजय पुत्र जगदीश 9 चेतन पुत्र जगदीश 10 मुन्नी देवी पुत्री जगदीश 11 सुजाराम पुत्र मिश्रीलाल 12 मांगी देवी पत्नि रतनलाल 13 कौशल्या देवी पुत्री रतनलाल 14 कृष्णा देवी पुत्री रतनलाल 15 महावीर पुत्री रतनलाल 16 दुर्गाराम पुत्र गोपीराम 17 रमेश पुत्र गोपीराम 18 बाबुलाल पुत्र गोपीराम 19 प्यारी देवी पत्नि गोपाराम 20 अमराराम पुत्र मांगीलाल 21 केवलचंद पुत्र मांगीलाल 22 कवराई देवी पत्नि मांगीलाल 23 इन्द्रा देवी पत्नि तुलसाराम 24 विनोद पुत्र तुलसाराम जातिगण–सरगरा निवासीगण–बासनी तिलवाड़िया, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। 25 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

01. श्री गिरीश नारायण भटट्, श्री रमेश टांक, श्री अभय व्यास अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
02. श्री राजाराम प्रजापति व श्री सलीम खान सोढा अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 5 से 9, 11 से 14 व 20 से 24, तथा श्री पंकज त्रिवेद्वी अधिवक्तागण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 15 से 19 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 28.11.2019

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया पटवार हल्का आलावास, तहसील सोजत में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 26 रकबा 1.2200 है0 व खसरा संख्या 26/1 रकबा 0.2300 हैक्टर भूमि कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.4500 हैक्टर भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बासनी तिलवाड़िया तह0 सोजत के खसरा नम्बर संख्या 33 रकबा 4.77 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि के मौके पर अप्रार्थीगण सख्या 1 से 24 द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि में नाजायज अतिक्रमण करने की कुचेष्टा कर रहे है। जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। जिस कारण उक्त कृषि भूमि को मौके पर कृषि भूमि की सीमा तय किया जाना असम्भव हो गया है, जिस कारण उक्त प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 के बीच सीमाओं को लेकर मनमुटाव होने लगा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 ने मौके पर कृषि भूमि का माप–चौक कराने हेतु स्पष्ट इंकार कर दिया है तथा मौके पर मरने मारने पर उतारू हो गये है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में जबरदस्ती अतिक्रमण करने की नियत रखते है। जिससे उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 26, 26/1 व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 33 का सीमांकन किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर मौके पर मुटाम लगवाना चाहते है। इसलिए उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि का पत्थरगढी के जरिए सीमांकन किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यदि सीमांकन नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण को अपूर्तिनीय क्षति होगी, प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 24 को दिनांक 15.09.2019 को उपरोक्त कृषि भूमि का मौके पर सीमांकन कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 24 द्वारा उक्त कृषि भूमि का सीमांकन करवाने से साफ इंकार कर दिया। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात अन्तर्गत धारा 110, 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़िया के खसरा नम्बर 26 रकबा 1.2200 है0 एवं खसरा संख्या 26/1 रकबा 0.2300 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 24 की कृषि भूमि खसरा संख्या 33 रकबा 4.7700 हैक्टर भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने तथा राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस अनुसार सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब दिनांक 28.11.2019 को पेश किया कि पैरा 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़िया मे होना बताया, पैरा 2, 3 जो स्वीकार किया में वर्णित तथ्यों को प्रार्थी स्वय सिद्ध करना व, पैरा 4, 5 कानूनी होना अंकित किया है। दिनांक 06.11.2019 को जबाब प्रार्थना पत्र अधिवक्तागण

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण संख्या 6 से 9, 12 से 14, व अप्रार्थीगण संख्या 5, 11, 20 से 24 की ओर से पेश किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित पद संख्या 1 व 2 को सही होने से स्वीकार होना बताया है। पैरा संख्या 03 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार किया है, क्योकि अप्रार्थीगण 6 से 9, 12 से 14 व अप्रार्थीगण संख्या 5, 11, 20 से 24 ने प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर किसी प्रकार कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर मौके पर मुटान लगवाना चाहते है, एवं पत्थर गढढी करवाना चाहते है तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। पैरा संख्या 4 व 5 कानूनी व काबिले अदालत वाला है। इस प्रकार जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अधिवक्तागण अप्रार्थीगण संख्या 6 से 9, 12 से 14 व अप्रार्थीगण संख्या 5, 11, 20 से 24 की ओर से निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा0 पत्र पेश किया है कि प्रा0 पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से सम्बन्धित है, जो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी का है, जो सही होने से स्वीकार है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में नाजायज अतिक्रमण करने की कुचैष्टा कर रहे है, जो बिल्कुल ही गलत वर्णित किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण द्वारा आज से लगभग चार वर्ष पूर्व अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के खेत के बीच के धोरे पाली को अनाधिकृत रूप से तोड़कर गिरा दिया था तथा अप्रार्थीगण को भारी नुकसान कारित किया था। पद में वर्णित यह गलत है कि अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के माप चौक करवाने हेतु स्पष्ट इंकार किया हो तथा मौके पर मरने मारने पर उतारू हो गये हों। अप्रार्थीगण प्रारम्भ से ही अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज है तथा अप्रार्थीगण द्वारा कभी कोई अतिक्रमण करने का प्रयास नही किया गया है, प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में गलत एवं झूठे तथ्यों का वर्णन किया है, जिसमें तनिक मात्र भी सच्चाई नही है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.09.2019 को अप्रार्थीगण से कृषि भूमि के सीमांकन हेतु कोई निवेदन नही किया गया और न ही अप्रार्थीगण द्वारा सीमांकन करवाने से कोई इंकार किया गया है। पद संख्या 4 व 5 को कानूनी होना अंकित कर विशेष कथन में अप्रार्थीगण शांति प्रिय है तथा अपने खातेदारी हक हकूक की कृषि भूमि भूमि पर वर्षो से कृषि कार्य करते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा आज से 4 वर्ष पूर्व नाजायज तरीके से अप्रार्थीगण के खेतो की बीच में बनी धोरा पाली को तोड़ दिया था तथा बार बार अप्रार्थीगण के खेतो में नाजायज कब्जा करने की कुचैष्ठा रखते है तथा अप्रार्थीगण को हमेशा कब्जा काश्त में दखलअंदाजी पैदा करते रहे है। जिसका प्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से एक इंच भूमि से अधिक भूमि पर काबिज काश्त नही है। यदि न्यायालय हाजा द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढढी अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की उपस्थिति में नियमानसार करवाते है, तो इससे अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा अप्रार्थीगण को बिना सुने कदापि उक्त सीमांकन एवं पत्थरगढढी नहीं करावे। यदि करते है, तो अप्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 से 4, 15 से 18, 19 की ओर से पेश कर सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया में अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 33 रकबा 4.7700 हैक्टर की भी सीमांकन एवं पत्थरगढढी किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया तहसील–सोजत में प्रार्थीगण की स्थित खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 26 रकबा 01.2200 हैक्टर चा0दो0ज0दो0 व बंजड़ तथा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner

ख0न0 26/1 रकबा 0.2300 हैक्टर चा0सो0 जा0सो0 व बंजड़ भूमि का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नापचौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जावें तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब 5, 11, 20 से 24 ने प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों की स्वीकारोक्ति/सहमति व्यक्त की तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तथा 15 से 19 ने प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के साथ–साथ अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि का भी नाप चौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाये जाकर पत्थरगढी/नेखमबन्दी करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त कृषि भूमि मौजा बासनी तिलवाड़िया तहसील सोजत में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 26 रकबा 1.2200 है0 व खसरा संख्या 26/1 रकबा 0.2300 हैक्टर भूमि कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.4500 हैक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार साथ ही साथ अप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बासनी तिलवाड़िया तह0 सोजत के खसरा नम्बर संख्या 33 रकबा 4.77 है0 की भूमि भी स्थित है। जिससे उभय पक्षों की कृषि भूमि का उभय पक्षों/पक्षकारान को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश:–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया पटवार हल्का आलावास तहसील सोजत में स्थित खसरा नम्बर 26 रकबा 1.2200 है0 एवं खसरा संख्या 26/1 रकबा 0.2300 हैक्टर तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 की कृषि भूमि खसरा संख्या 33 रकबा 4.7700 हैक्टर कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा मौके पर माफिक राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस अनुसार उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned by CamScanner